



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

No. 2]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 2001/पौष 11, 1922

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 2001/PAUSA 11, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2001

का.आ. 2(अ).—केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त धारा की उपधारा (2ख) के अधीन गठित सलाहकार समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् यह निदेश दिया है कि भारत सरकार के उद्योग, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 477(अ) तारीख 25 जुलाई, 1991 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

उक्त अधिसूचना में—

अनुसूची III में, लघु उद्योग क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची शीर्षक के अधीन मद 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियां (सिले सिलाए कपड़े) का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 7(3)/99-आई.पी.]

एम.एस. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना का.आ. संख्या 477(अ) तारीख 25 जुलाई, 1991 द्वारा जारी की गई और पश्चात्पूर्वी संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :—

- (1) का.आ. 298(अ), तारीख 3 अप्रैल, 1997
- (2) का.आ. 71(अ), तारीख 3 फरवरी, 1999 और
- (3) का.आ. 673(अ), तारीख 19 जुलाई, 2000

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion) NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2001

S.O. 2(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2B) of Section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and after considering the recommendations made by the Advisory Committee constituted under sub-section (2B) of said Section, the Central Government hereby direct that the following amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development Number S.O. 477(E), dated the 25th July, 1991, namely :—

In the said notification;

In Schedule-III, under the heading—LIST OF ITEMS RESERVED FOR EXCLUSIVE MANUFACTURE IN THE SMALL SCALE SECTOR, item 34 and the entries relating thereto (i.e. Readymade Garments) shall be omitted.

2. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 7(3)/99-IP]

M.S. SRINIVASAN, Jt. Secy.

Note :—The Principal notification was issued vide number S.O. 477(E), dated the 25th July, 1991 and subsequently amended vide :—

- (1) S.O. 298(E), dated the 3rd April, 1997,
- (2) S.O. 71(E), dated the 3rd Feb., 1999 and
- (3) S.O. 673(E), dated the 19th July, 2000.